प्रेस नोट **01/08/2024**

यातायात जागरुकता अभियान के क्रम में 18 वर्ष के कम उम्र के छात्र/छात्राओं द्वारा दो पहिया एवं चारपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने एवं नाबालिग बच्चों को वाहन देने वाले स्वामी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी यातायात के नेतृत्व में आज दिनांक 01.08.2024 को यातायात प्रभारी के नेतृत्व में जागरुकता अभियान चलाया गया जिसमें लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल सिकटिया जनपद मऊ के नाबालिग छात्र/छात्राओं को वाहन न चलाने के बारे जागरुक किया गया तथा यातायात/सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गयी। साथ ही साथ चेकिंग के दौरान नाबालिग द्वारा वाहन चलाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की गयी तथा उनके अभिभावकों से जरिये मोबाइल वार्ता कर हिदायत दी गयी एवं स्कूली वैन/बसों की फिटनेस/परमिट इत्यादि के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

02 वांछित तथा 04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 01.08.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर टाउन इण्टर कॉलेज के पास से मु0अ0सं0 247/24 धारा 363, 366, 376 भादवि में वांछित अभियुक्त अनुप चौहान पुत्र रमेश चौहान निवासी जमालपुर पोखरा थाना मोहम्मदाबाद, थाना मधबुन पुलिस द्वारा सिकडिकोल चौराहा के पास से मु0अ0सं0 326/23 धारा 420, 468 भादवि व धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 व धारा 11 पशु क्रुरता नि0 अधि0 में वांछित अभियुक्त गोलू पुत्र वकिल निवासी जीवापार थाना मधुबन, कोतवाली पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण चन्दन पुत्र सीताराम, संतोष पुत्र चन्द्रदेव निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवालीनगर, घोसी पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त अनूप पुत्र रामविलास निवासी कस्बा खास थाना घोसी तथा मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त महेन्द्र सोनकर पुत्र बरसाती निवासी हलीमाबाद थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0 191 गैंग) की सहयोगी आफसा अंसारी सहित कुल 05 अपराधियों के विरुद्ध 50-50 हजार पुरस्कार घोषित-

अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री वैभव कृष्ण, पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0 191 गैंग) की सहयोगी आफसा अंसारी सहित कुल 05 अपराधियों के विरुद्ध 50-50 हजार पुरस्कार घोषित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है-

1. आफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी निवासी दर्जी मुहल्ला युसुफपुर मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर। सम्बन्धित मु0अ0सं0 20/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना दक्षिणटोला मऊ।
2. आफताब पुत्र हलीम निवासी सठियांव चौराहा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़। सम्बन्धित मु0अ0सं0 87/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

3. रतन सोनकर पुत्र सुभाष सोनकर निवासी मठियाटोला थाना कोतवाली मऊ। सम्बन्धित मु0अ0सं0 239/2019 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ।

4. चौकीदार रामजीवन पासवान पुत्र जीवछ निवासी बैरापसरा थाना जयनगर मधुबनी बिहार। सम्बन्धित मु0अ0सं0 359/22 धारा 363,328,365,342,370क,372,376डीए,120बी भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली जनपद मऊ।

5. राहुल गौड़ पुत्र भरत गौड़ निवासी सिकरौर थाना घोसी जनपद मऊ। सम्बन्धित मु0अ0सं0 341/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ।